न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 136/20 प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0

अनवान प्रकरण

मुकेश पुरी गुरू स्व0 श्यामपुरी गुसाई निवासी मेजा हाल माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
---प्रार्थी

बनाम

1–दीपक पुरी आत्मज सूरजपुरी गोस्वामी निवासी सरसड़ी(सरेड़ी) तहसील कोटड़ी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
---अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र बाबत– अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम)

---0---

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण– श्री एकलिंग व्यास एवं श्री सूरज सनाढ्य
वकील अप्रार्थीगण –श्री गोपाल अजमेरा एवं श्री सत्यनारायण सोमानी

आदेश

दिनांक 08.092022

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि अन्दर हल्का आबादी माण्डल के बस स्टेण्ड पर नीलकंठ महादेव का प्राचीन काल से मन्दिर बना हुआ है जो काफी प्राचीन होकर उक्त मन्दिर पर स्थापित शिवजी की मूर्ति की पूजा अर्चना प्राचीन काल से उक्त मन्दिर के महन्त ही करते हुए चले आ रहे हैं।

2–यह कि उक्त मन्दिर की चल अचल सपति व पूजा प्रतिष्ठा व देख रेख हेतु एक पंजीकृत ट्रस्ट बना हुआ है जो स्वर्गीय महन्त श्री शंकरपुरी जी गुाई के जीवनकाल में उनके द्वारा निष्पादित किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं शंकरपुरी थे। उक्त मन्दिर के महन्त को चेला अर्थात अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने इत्यादि अधिकार भी महन्त में ही नियत होकर महन्त ही उक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा। पंजीकृत ट्रस्टडीड अनुसार नीलकंठ महादेव मन्दिर के महन्त के स्वर्गवास के पश्चात महन्त द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी या चेला ही उक्त मन्दिर के महन्त और ट्रस्ट के अध्यक्ष होते रहेगें यह परम्परा व वंशानुगत चलते रहेगें। 3–यह कि स्व0 शंकरपुरी ने उनके जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी(चेला) स्व0 श्यामपुरी को नियुक्त किया, श्यामपुरी ने शंकरपुरी के स्वर्गवास पश्चात उक्त मन्दिर की सेवापूजा, अर्चना, देखरेख की और स्व0 श्यामपुरी ने अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी(चेला) प्रार्थी मुकेशपुरी को नियुक्त किया। प्रार्थी स्व0 श्यामपुरी के जीवनकाल मे उनके द्वारा निष्पादित उत्तराधिकारी (चेलानामा) के पश्चात से ही उक्त मन्दिर की सेवापूजा व नीलकंठ महादेव के नाम पर स्थित आराजीयात की देख रेख इत्यादि करता चला आ रहा है और श्यामपुरीजी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त मन्दिर का बहैंसियत महन्त और ट्रस्ट का अध्यक्ष है।स्व0श्यामपुरीजी द्वारा निष्पादित उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (चेलानामा) की फोटो प्रति प्रार्थनापत्र में संलग्न है।

4–यह कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के हाल खतौनी संख्या 1902 में आराजी संख्या 7882 रकबा 02 बीघा अन्य आराजीयात के साथ स्थित होकर श्री नीलकंठ महादेव स्थान दे हके नाम पर खातेदारी तौर से दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी से अकारण ही रंजिश रखता है और जबरन उक्त आराजी पर अवैध

अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

अतिक्रमण कर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द उसकी किस्म परिवर्तन करने पर आमादा है जिसका विपक्षी संख्या 01 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

5—यह कि विपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 05.08.2020 को उक्त कृषि आराजीयात पर मौके पर लोहे की एगले स्थापित कर टीन सेड का निर्माण कर उसमें करीब पांच दस दुकानों का निर्माण किया जाकर किस्म परिवर्तन करने पर आमादा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया और विपक्षी संख्या 01 ने धमकी दी कि मैं तो उक्त आराजी की किस्म को परिवर्तन कर उक्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को विक्रय, रहन बय बख्शीस एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित कर खुर्द बुर्द करके रहूंगा। इसी अनवान का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है।

6—यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ग्राम माण्डल की आराजी नम्बर 7882 रकबा 02 बीघा की किस्म परिवर्तन कर उसको खुर्द बुर्द एवं अन्य किसी भी दीगर व्यक्तियों को विक्रय रहन बय बख्शीस , अन्तरित नहीं करे एवं न ही उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर दुकानों का निर्माण न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें। विपक्षी संख्या 01 रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7—प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2020 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 08.09.2020 को तलब किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक 10.08.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 08.09.2020 तक जारी की गई।

8—यह कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने स्वयं को स्व0 श्यामपुरी का चेला बमता गलत तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। वर्तमान में नीलकंठ महादेव मंदिर की पूजा र्चना विपक्षी महन्त दीपकपुरी जो कि स्व0 श्यामपुरी का चेला है तथा देवस्थान विभाग द्वारा नीलकंठ महादेव मन्दिर माण्डल का दीपकपुरी को महन्त घोषित किया है के द्वारा मन्दिर की पूजा अर्चना की जा रही है श्यामपुरीजी ने प्रार्थी मुकेशपुरी का अपना उत्तराधिकारी/चेला नियुक्त नहीं किया है जो चेलानामा इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है वह असत्य, फर्जी व कूटरचित है। नीलकंठ महादेव मन्दिर माण्डल का दीपकपुरी को महन्त घोषित किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठें तथ्यों के आधार पर पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य है।

9—यह कि मुकेशपुरी ने सिविल न्यायाधीश मांडल मे भी प्रकरण प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 11/2013 मु0दी0 जो दिनांक 02.06.2018 को खारिज कर दिया जिसकी अपील माननीय जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की जिसके नम्बर 43/2018 थे जो दिनांक 08.10.2018 को खारीज कर दी गई। इसी आधार पर सिविल न्यायाधीश माण्डल में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 51/2016 मु0दी0 थे जो दिनांक 12.09.2017 को खारिज कर दिया गया।

10—यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित आराजीयात नीलकंठ महादेव मन्दिर माण्डल के नाम खातेदारी से दर्ज होना स्वीकार है अन्य कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का मन्दिर की भूमि एवं मन्दिर पर कभी कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी द्वारा ट्रस्टडीड के अनुसार मन्दिर की बढोतरी एव उसके उद्देश्यों एवं ट्रस्ट के लाभ के लिए ही आराजीयात का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। आराजीयात को विपक्षी द्वारा खुर्द बुर्द नहीं किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा आराजीयात की किस्म को परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। विपक्षी ने प्रार्थी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। प्रार्थी आए दिन विपक्षी को जलीलज व परेशान करता है। यह प्रार्थना पत्र असत्य एवं आधारहीन तथ्यों पर पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है न ही सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा को खारिज फरमाया जावे।

अधिकारी
जला भीलवाड़ा

11—प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम माण्डल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 खतौनी संख्या 1902 की फोटो प्रति, नीलकंठ महादेवमन्दिर की ट्रस्टडीड की फोटो प्रति, उत्तराधिकारी(चेलानामा) प्रमाण—पत्र की फोटो प्रति पेश की । अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 23.06.2011 की फोटो प्रति, सिविल न्यायाधीश माण्डल के प्रकरण संख्या 11/2013 मु0दी0 निर्णय दिनांक 02.06.2018, जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा की अपील संख्या 43/2018 निर्णय दिनांक 08.10.2018, सिविल न्यायाधीश माण्डल के प्रकरण संख्या 51/2016 निर्णय दिनांक 12.09.2017 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की।

12—हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवदन किया कि आराजीयात मन्दिर मूर्ति की खातेदारी की है। उसकी रक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा पेश किया ह। गुरू श्यामपुरी का प्रार्थी के पक्ष में लिखा पत्र पेश किया है। मेरे द्वारा मन्दिर की भूमि का दुरूपयोग न करने व खुर्द बुर्द रहन बय बख्क्षीस नहीं करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मेरे ही नहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित में लाया जा सकता है। मैंने मन्दिर की भूमि में खातेदारी नहीं चाही है। विपक्षी भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करे व रहन बय बख्क्षीस , विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

13—बहस में वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को सिविल न्यायालय माण्डल व जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा द्वारा महन्त ही नही माना है तो उसे नीलकंठ महादेव मन्दिर की भूमि के सम्बन्ध में 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि नीलकंठ महादेव मन्दिर माण्डल की चल—अचल सम्पत्ति एवं कृषि आराजीयात की देख—रेख एवं पूजा, अर्चना करने क लिए सहायक देवस्थान आयुक्त, देवस्थान विभाग अजमेर के द्वारा मुझ विपक्षी को महन्त नियक्त कर रखा है। वादवर्णित आराजीयात नीलकंठ महादेव मन्दिर माण्डल के नाम खातेदारी से दर्ज है। मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग के हितों की रक्षा हेतु विपक्षी को देवथान विभाग द्वारा नियुक्त कर रखा है। मन्दिर का ट्रस्ट व विधान आदि बने हुए हैं जिसके अनुसार ही विपक्षी को सभी अधिकार प्राप्त है। मन्दिर की सुरक्षा एवं आय बढोतरी के लिए ही विपक्षी द्वारा विधिवत कार्य किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

14—हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी । प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं पर निर्णय आवश्यक है—1 प्रथम दृष्टया मामला, 2—सुविधा सन्तुलन , 3—अपूरणीय क्षति। उक्त प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों व प्रार्थना पत्र. एवं जवाब के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि —

1—प्रथम दृष्टया मामला:— ग्राम माण्डल की आ0नं0 7882 किस्म चाही I रकबा 2.00 बीघा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की नवीन खतौनी संख्या 1902 में अन्य आराजीयात के साथ श्रीनीलकंठ महादेव स्थान देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने स्व0 महन्त श्यामपुरी द्वारा अपंजीकृत लिखित वसीयतनामा (उत्तराधिकार चेलानामा) दिनांक 02.02.2010 की फोटो प्रति पेश की जिस पर माननीय सिविल न्यायाधीश माण्डल ने अपने प्रकरण संख्या 11/2013 मु0दी0 निर्णय दिनांक 02.05.2018 से खारिज किया जा चुका है जिसे माननीय जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा ने भी अपनी अपील संख्या 43/2018 आदेश दिनांक 08.10.2018 से खारिज किया जा चुका है यहां तक कि सिविल न्यायाधीश माण्डल के न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 51/2016 आदेश दिनांक 12.09.2017 से खारिज किया जा चुका है। जबकि वादवर्णित भूमि मन्दिर मूर्ति की है। ग्रामीण क्षैत्रों में स्थित मन्दिर जो राज्य सरकार में पंजीकृत है या अपंजीकृत है उन मन्दिरों की भूमियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार (प्रशासनिक सुधार(अनु—3) विभाग क आदेश क्रमांक/प. 6(17)प्र.सु./अनु—3/2002 जयपुर दिनांक 07.12.2009 के द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया हुआ है। उक्त समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं उभयपक्ष सम्बन्धित तहसीलदार तथा सदस्य सचिव सम्बन्धित वृत्त का सहायक आयुक्त अथवा सम्बन्धित वृत्त का निरीक्षक देवस्थान विभाग या विभाग द्वारा नामित विभागीय कार्मिक होता है।

अधिकारी
ला भीलवाड़ा

परन्तु उक्त प्रकरण में देवस्थान विभाग अजमेर द्वारा महन्त श्यामपुरीजी के देहावसान हो जाने पर उनके स्थान पर अपने आदेश दिनांक 23.06.2011 से महन्त दीपकपुरी को महन्त नियुक्त किया है। नीलकठ महादेव मन्दिर माण्डल की ट्रस्टडीड के अनुसार जो भी मन्दिर का महन्त होगा उसे ही मन्दिर की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं मन्दिर की पूजा, अर्चना के अधिकार होगें जो कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर द्वारा नियुक्त महन्त दीपकपुरी को प्राप्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2–सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति– सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति दोनों बिन्दुओं को न्याय एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्धारित किया जाता है। चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रहे हैं ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं। अतएवः–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को प्रार्थी सिद्ध कराने में असफल रहे हैं । अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा